



# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 12.04.2026

थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा ठगी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का एक शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के 52,500/- रुपये व एक कीपैड मोबाइल बरामद ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 08.04.2026 को वादी रंजीत सिंह पुत्र स्व० करतार सिंह निवासी मोहल्ला 19/3 लेवर कालोनी गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर द्वारा दी गई तहरीरी सूचना 08.04.2026 को आरोपीगण जीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर व 05 अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी करके 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) लेने के सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर मु०अ०सं०-45/2026 धारा 318(4) बीएनएस बनाम जीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर व 05 अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

**गिरफ्तारी का विवरण-** श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक बिन्दकी के कुशल नेतृत्व में पंजीकृत अभियोग अ०सं०-45/26 धारा 318(4) बीएनएस की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी पतारसी सुरागरसी के परिणाम स्वरूप मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक- 12.04.2026 को थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा अब्दुलहेपुर मोड़ तिराहे के पास से खडे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम वेदपाल सिंह पुत्र बाबू सिंह नि० ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर बताया । जिसके कब्जे से थाना जहानाबाद पर दिनांक 08.04.2026 को पंजीकृत मु०अ०सं०-45/26 धारा 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित माल मशरुका 52,500/- रुपये नगद (500-500 के 105 नोट) व एक की पैड मोबाइल फोन लावा कम्पनी बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमा में धारा 319(2)/61(2)/ 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है तथा अभियुक्तगण 1. वेदपाल सिंह पुत्र बाबू सिंह नि० ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर 2. गजेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र स्व० बिहारी सिंह निवासी तातारपुर थाना अयाना जनपद औरैया उम्र करीब 55 वर्ष 3. सबल सिंह उर्फ भटल्ला पुत्र शिरोमन सिंह निवासी कोहरा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर हाल मुकाम ग्राम कोर्कनक थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 48 वर्ष का नाम प्रकाश मे लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त वेदपाल उपरोक्त को मा० न्यायालय भेजा गया। शेष अभियुक्तगण 1 .जीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी कछवाहिनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 45 वर्ष 2. गजेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र स्व० बिहारी सिंह निवासी तातारपुर थाना अयाना जनपद औरैया उम्र करीब 55 वर्ष 3. सबल सिंह उर्फ भटल्ला पुत्र शिरोमन सिंह निवासी कोहरा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर हाल मुकाम ग्राम कोर्कनक थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 48 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है ।

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त वेदपाल सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया मैं आज दिनांक 12.04.2026 को कस्बा जहानाबाद में जाने वाले था, अखबार में खबर निकली व सुना था कि कस्बा जहानाबाद में खुदाई के दौरान चाँदी के सिक्के निकले हुए है। उसी सिलसिले में रैकी करने के लिये आया था रैकी करने के बाद कस्बा जहानाबाद में कुछ चाँदी के सिक्के खरीदना था और इस बार चाँदी के सिक्के दिखाकर दोबारा घटना को अन्जाम देने की प्लानिंग थी। हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर स्वयं तथा गैंग के सदस्यो/सम्बन्धियो के आर्थिक, भौतिक सुख व लाभ प्राप्त करने के लिये संगठित होकर ठगी जैसे जघन्य अपराध करते हैं। प्रायः गैंग में से कोई एक या गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य किसी भोले भाले व्यक्ति को टारगेट करते हैं तथा आरोपियों द्वारा आमजनमानस मे भोले भाले लोगो को कुछ सोने के पुराने सिक्के दिखाकर बताया जाता है कि खुदाई के दौरान बहुत सारे सोने के सिक्के मिले है का लालच देकर 2-4 वास्तविक सोने के सिक्के व कुछ तांबे के सिक्को पर सोने का पानी लगाकर दिखाया जाता है। अभियुक्त जीत सिंह द्वारा वार्ता करके कहानी गढ़कर अपनी बातों में फंसाकर दिनांक समय व स्थान तय किया जाता है तथा पहले से ही उस स्थान की रेकी कर ली जाती है तदोपरान्त भ्रमित किए गए वादी को पैसों के साथ पूर्व निश्चित स्थान पर बुलाया जाता है। आरोपी द्वारा वादी को बातचीत मे उलझाकर सुनियोजित प्लान बनाकर रखा जाता है 1 गजेन्द्र सिंह पुत्र बिहारी लाल नि0 तातारपुर थाना अयाना जनपद औरैया 2.सबल सिंह चौहान उर्फ भटला पुत्र सिरोमन सिंह कोहरा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर 3. जीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 45 वर्ष को पुलिस की वर्दी में लाकर सनसनी फैलाकर मौका देखकर वहाँ से अपने गैंग के सदस्यों को ही अपराधी बताकर पुलिस की वर्दी मे पहुचकर वादी द्वारा दिये गए पैसों व दिखाए गए सिक्कों को उस अमुक व्यक्ति के साथ वहाँ से उठाकर ले जाते है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

वेदपाल सिंह पुत्र बाबू सिंह नि0 ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 48 वर्ष

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 52,500/- रूपये नगद
2. एक कीपैड मोबाइल फोन

### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

- 1.वेदपाल सिंह पुत्र बाबू सिंह नि0 ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर  
1.मु0अ0सं0- 369/2022 धारा -308/352/323/504/506 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।  
2.मु0अ0सं0- 423/2022 धारा -147/504/506 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।  
3.मु0अ0सं0- 69/2007 धारा -392/395/406 412/420भा0द0वि0 थाना मूसानगर जनपद कानपुर नगर।  
4. मु0अ0सं0 45/26 धारा -318(4)/319(2)/61(2)/ 317(2) बीएनएस थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

### **प्रकाश मे आये अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:—**

1. जीत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर  
1. मु0अ0सं0 1154/2018 धारा -363, 366, 504, 506 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर जनपद कानपुर  
2. . मु0अ0सं0 85/2021 धारा -323/325/504 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर  
3. मु0अ0सं0 45/26 धारा -318(4)/319(2)/61(2)/ 317(2) बीएनएस थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

## 2. गजेन्द्र सिंह पुत्र बिहारी लाल नि० ततारपुर थाना अयाना जनपद औरैया

1. मु०अ०सं०- 69/2008 धारा -406/411/420 भा०द०वि० थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु०अ०सं०- 164/2018 धारा -120 बी/420/467/468/471 भा०द०वि० थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर ।
3. मु०अ०सं०- 22/2004 धारा -452/323/504 भा०द०वि० थाना अयाना जनपद औरैया ।
4. मु०अ०सं०- 100/2011 धारा -3/4 गुण्डा अधि० थाना अयाना जनपद औरैया ।
5. मु०अ०सं०- 83/2009 धारा -60 अबकारी अधि० थाना अयाना जनपद औरैया ।
6. मु०अ०सं० 45/26 धारा -318(4)/319(2)/61(2)/ 317(2) बीएनएस थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

## 3. सबल सिंह चौहान उर्फ भटला पुत्र सिरोमन सिंह कोहरा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर

1. मु०अ०सं०- 356/2016 धारा 60 अबकारी अधि० थाना ललौली जनपद फतेहपुर
2. मु०अ०सं० 45/26 धारा -318(4)/319(2)/61(2)/ 317(2) बीएनएस थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री मनीष कुमार सिंह थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर ।
2. उ०नि० विकास कन्नौजिया
3. उ०नि० नारद कुमार भारती
4. का० प्रबल यादव
5. का० सूर्यभान सिंह